

न्यायालय अति० जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु०नं० 39/2018

तारीख रजू:- 26.11.2018

1 गिरधारी पुत्र हरी जाति मीना निवासी थूमा उपतहसील कुडगॉव तहसील सपोटरा जिला करौली

:- अपीलान्त

बनाम

1 राजस्थान सरकार नायब तहसीलदार कुडगॉव जिला करौली

-रेस्पोंडेन्ट

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 26.9.2018 न्यायालय नायब तहसीलदार कुडगॉव मुकदमा उनवानी सरकार बनाम गिरधारी मुकदमा नम्बर 111/018 धारा 91 एल. आर.एक्ट के विरुद्ध तहत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 19.02.2019

वाक्यात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्त ने एक अपील नायब तहसीलदार कुडगॉव के निर्णय दिनांक 26.9.2018 से अप्रसन्न होकर पेश कर अवगत कराया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को बिना कोई नोटिस दिये ही एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। खसरा नम्बर 303/3 रकवा 5 विस्वा गैरमुमकिन नाला पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की है। मौके पर भूमि खाली पडी हुई है जिसमे मेवेशी चरती हैं इस बाबत न्यायालय मे अण्डर टेंकिंग न्यायालय मे प्रस्तुत करने को तैयार हूँ इस निर्णय की जानकारी दिनांक 25.10.2018 को हुई दिनांक 25.10.2018 से 6.11.2018 तक नकल लेने मे लगे समय को मुजरा करते हुये अपील अन्दर म्याद पेश है। अन्त मे अपील अपीलान्त स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलान्त दर्ज पंजिका कर रेपोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई।


प्रार्थी अपीलान्त उपस्थित हुआ और अण्डर टेंकिंग पेश की गई। जिसमे भूमि मौके पर खाली पडी हुई है। किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा झूठी रिपोर्ट पेश की गई है। अन्त मे अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावे।

हमने प्रार्थी अपीलान्त को सुनने पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का डिकोली कला ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

है। यदि हस्तगत प्रकरण मे अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत आराजीयात से अतिचार हटा लिया है। और भविष्य मे कभी भी अतिचार नही करने का अभिकथन किया है तो हमारी सुविचारित राय मे सिविल जैसे कठोर कारावास की सजा को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। हम प्रार्थी अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नायब तहसीलदार गुडगाँव तहसील सपोटरा जिला करौली का निर्णय दिनांक 26.9.2018 के तहत अपीलान्ट गिस्थारी पुत्र हरी जाति मीना निवासी थूमा को दी गई 3 माह की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त के साथ माफ किया जाता है कि यदि अपीलान्ट एक माह के अन्दर अडरट्रेकिंग पेश कर देता है और अपीलान्ट प्रश्नगत आराजी से अपना अतिचार हटा लेता है ओर भविष्य मे किसी प्रकार का अतिचार नही करेगा। इस बात से नायब तहसीलदार सन्तुष्ट हो जाते है तो सिविल कारावाश की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। वेदखली एवं शास्ती से सम्बंधित आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.2.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० 
जिला कलक्टर
करौली